



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल  
होशंगाबाद रोड, भोपाल - 462026

क्रमांक: २४१३ / अकादमी/ २०१७

भोपाल, दिनांक: ०३/०६/२०१७

**:: सूचना ::**

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल के पत्र क्रमांक: 2411, 2413, 2415, 2017, 2419, 2421, 2423, 2425, 2427, 2429, 2431, 2433, 2435, 2437, 2439, 2441, 2443/अकादमी/संबद्धता/2017 भोपाल, दिनांक: ०३-६-२०१७ द्वारा एम.एड. पाठ्यक्रम की अस्थाई संबद्धता सत्र 2017-18 जारी की गई है। इन पत्रों में दर्शित छात्र संख्या के स्थान पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वेब-साईट पर प्रदर्शित सूची अनुसार छात्र संख्या 50 पढ़ी जावें।

*[Signature]*  
उपकुलसचिव (अकादमी)  
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल  
भोपाल, दिनांक ०३/०६/२०१७

पृ० क्रमांक २४१३/अकादमी/संबद्धता/२०१७

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालग सतपुड़ा भवन भोपाल ।
2. ईंट्रीय संसालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला डिल्स, भोपाल।
3. उपराहिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय बल्लभ भवन गोपाल।
4. विश्वविद्यालय से संबद्ध सत्र 2017-18 में एम.एड. पाठ्यक्रम रांचालित महाविद्यालयों के समर्त प्रावार्य।
5. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल ।
6. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के साथ्यम से सूचनार्थ ।
7. वेबसाईट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल।

*[Signature]*  
सहायक कुलसचिव (अकादमी)



## बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक २६७६ /अकादमी/संबद्धता/2017

भोपाल, दिनांक २७/०५/२०१७

प्रति,

PRINCIPAL / DIRECTOR  
S.D.A.M. MAHAVIDHYALAYA,  
(P.J.N BY ASHISHA SANSKRITIK AVAM SHAIKSHNIK SAMITI)  
SEONI MANDIWA, HOSHANGABAD, M.P.

दिवाय:- सत्र 2017-18 में अस्थाई संबद्धता की विरतता सत्र 2017-18.

राज्यम्:- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का संशोधित पत्र क्रमांक: 162115 दिनांक: 27/05/2016

(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वी वेबसाईट पर प्रदर्शित दिनांक: 05-05-2017 को जारी यही क्रमांक: ६३८५. १८१८

नहोट्य,

विहा परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 08.05.2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिकायम 1973 की थारा 15(4) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुगोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित विज्ञानिक पाठ्यक्रमों की संबद्धता की अस्थाई विरतता निम्नांकित शर्तों के तथा प्रदान की जाती है :-

1. दी ०१८८० १८० — छात्र संख्या

शर्तों:-

- जागमी नत्र 2016-19 की संबद्धता की विरतता के लिये विवादानुसार जावेदार करना होगा।
- विश्वविद्यालय के परिणाम नं. २७ एवं २८ तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश क्रमांक ५.६ एवं ७ का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्ट एकार्ट एकार्ट से सत्यापित करना कर प्रस्तुत करना होगा।
- शास्त्री लिखान की डैड्कों का विवरित आयोजन एवं विदरण संकेत विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
- प्रिक्षकों की विवृति विश्वविद्यालय के परिचयनम् नं. २८ के तहत पूर्ण एवं उनकी दूरी ०१ चुनाई 2017 तक विश्वविद्यालय ने प्रस्तुत करनी होगी।
- दिग्ना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश गान्धी नाम किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दाखिल महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
- संबंधित जियामक संस्था एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कलियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा करवाए जाने वाले निरीक्षण में पाई गई कलियों की सूचता जियामक संस्था तथा उच्च शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके लिवादानुसार जागमी कार्यतामी जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा शपथ पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अविवार्य होगा।
- जिन लक्षणों गे कालेज कोड २४ के तहत प्राचार्य/प्रिक्षकों की विवृति नहीं की है तथा विवरित समय दीमा में संबद्धता शुल्क जमा जानी किया है, उन गहानेवालों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना सम्भव नहीं होगा।
- किसी भी रूपर पर किसी भी प्रकार की कर्जी/अद्वितीयता पात्र जाने पर यह आदेश स्वतः भावा जाएगा।

आदेशानुसार,

  
कुलपति अकादमी २८  
भोपाल, दिनांक २७/०५/२०१७

पृष्ठक्रमांक २६७७/अकादमी/संबद्धता/2017

प्रतिलिपि:-

- आयुर्वेद, उच्च शिक्षा विभाग, रांचालनलड सतपुड़ा भोपाल।
- क्षेत्रीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, गालच गावन, श्यामला डिल्ली, भोपाल।
- उपकार्टिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन गंगालय वल्लभ अवज भोपाल।
- उपकुलसिवियोपनीय परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
- कुलपति/कुलसिवियोपनीय परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल।

 सहा -कुलसिवियोपनीय परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल।



636

संबद्धता की विरन्तरता

सत्र 2017-18

## बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक २६७४ /अकादमी/संबद्धता/2017

प्रति,

भोपाल, दिनांक ३०/६/१७

**PRINCIPAL / DIRECTOR**  
**H.L. AGRAWAL B.ED. COLLEGE**  
**KHASRA NO. - 213/3, PLOT NO. P.C. NO. - 9, SANKHEDA NAKA, POST OFFICE -**  
**ITARSI, CITY-ITARSI, DISTRICT - HOSHANGABAD - 461111 M.P.**

विषय:- सत्र 2017-18 में अस्थाई संबद्धता की विरन्तरता सत्र 2017-18.

शब्दर्थ:- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का संबंधित पत्र क्रमांक: १६६६३३ दिनांक: ०२/०५/२०१६

(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर प्रदर्शित दिनांक: 05-05-2017 को जारी सूची क्रमांक: ५८४.

गहोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 08.05.2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरावत आपके महाविद्यालय में संचालित विज्ञानित पाठ्यक्रमों की संबद्धता की अस्थाई विरन्तरता विज्ञानित शतों के साथ प्रदान की जाती है :-

1. बी०ए० १०० छात्र संख्या

शर्तेः-

- आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की विरन्तरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
- विश्वविद्यालय के परिनियम क्र. 27 एवं 28 तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश क्रमांक 5,6 एवं 7 का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक वार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करना कर प्रस्तुत करना होगा।
- शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
- शिक्षकों की विगुणित विश्वविद्यालय के परिनियम क्र. 28 के तहत पूर्ण कर उनकी सूची ०१ जुलाई 2017 तक विश्वविद्यालय जैसे प्रस्तुत करनी होगी।
- विद्या संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश माल्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
- संबंधित विवाहक संस्था व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कमियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा करवाए जाने वाले निरीक्षण में पाई गई कमियों की सूचना विवाहक संस्था तथा उच्च शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा शपथ पत्र एक सप्ताह जैसे प्रस्तुत करना अविवार्य होगा।
- जिल महाविद्यालय ने कालेज क्रोड 28 के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की विधुपति नहीं की है तथा विधायित समय सीमा में संबद्धता शुल्क जमा नहीं किया है, उन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संशय नहीं होता।
- किसी भी रुपर पर किसी भी प्रकार की कमी/अविवाहितता पाए जाने पर यह आदेश स्वतः विस्तृत माना जाएगा।

आदेशानुसार,



उप-कुलसंचिव अकादमी

भोपाल, दिनांक ३०/६/१७

पृष्ठक्रमांक २६७४ /अकादमी/संबद्धता/2017

प्रतिलिपि:-

- अधुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय सतपुड़ा भवन भोपाल।
- क्षेत्रीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मावस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
- उपसंचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भद्रन भोपाल।
- उपकुलसंचिव/ओपलीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
- कुलपति/कुलसंचिव के गिरी सहायक के भाष्यम दो दूचनार्य।
- वेबसाईट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल।

सहा.-कुलसंचिव, अकादमी



627

संबद्धता की निरन्तरता

सत्र 2017-18

## बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक २७०८ /अकादमी/संबद्धता/2017

भोपाल, दिनांक ३०/६/१७-

प्रति,

**PRINCIPAL / DIRECTOR,**  
**NAVEEN SWAMI VIVEKANAND B.ED. COLLEGE,**  
**BARKHEDI KALA POST SURAJ NAGAR,**  
**NEELBAD ROAD BHOPAL-462044**

विषय:- सत्र 2017-18 में अस्थाई संबद्धता की निरन्तरता सत्र 2017-18.

सन्दर्भ:- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का संशोधित पत्र क्रमांक: १६४९२६ दिनांक: १३/५/२०१६

(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर प्रदर्शित दिनांक: ०५-०५-२०१७ को जारी सूची क्रमांक: ५०.

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक ०८.०५.२०१७ में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ की धारा १५(४) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित नियन्त्रित पाठ्यक्रमों की संबद्धता की अस्थाई निरन्तरता विभागित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

१. बी०एड० १०० छात्र संख्या

शर्तों:-

- आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की नियमाबुसार आवेदन करना होगा।
- विश्वविद्यालय के परिवियम क्र. २७ एवं २८ तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश क्रमांक ५, ६ एवं ७ का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्स एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
- शासी विकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
- शिक्षकों की विद्युतित विश्वविद्यालय के परिनियम क्र. २४ के तहत पूर्ण कर उनकी सूची ०१ जुलाई २०१७ तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
- विवा संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश माल्य नहीं विद्या जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
- संबंधित नियामक संस्था व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कठिनियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा करवाए जाने वाले विशेषज्ञ जैसे पाई गई कमियों की सूचना नियामक संस्था तथा उच्च शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके निर्देशाबुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा शपथ पत्र एक रात्राह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- जिन महाविद्यालय ने कालेज कोड २४ के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की विद्युतित नहीं की है तथा विधीनित समय सीमा में संबद्धता शुल्क जमा नहीं किया है, उन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।
- किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कर्जी/अवियाजितता पाए जाने पर वह आदेश स्वतः निरस्त जाना जाएगा।

आदेशाबुसार,



पू०क्रमांक २७०९ /अकादमी/संबद्धता/2017

प्रतिलिपि:-

- आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय सतपुड़ा भवन भोपाल।
- क्षेत्रीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानसा भवन, इयामला हिन्दा, भोपाल
- उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग न.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
- उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
- कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के गाथ्यग से सूचनार्थ।
- वेबसाईट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

उप-कुलसचिव अकादमी

भोपाल, दिनांक ३०/६/१७

सहा-कुलसचिव, अकादमी



१३१

संबद्धता की निरन्तरता

सत्र 2017-18

## बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक २७०४/अकादमी/संबद्धता/2017  
प्रति,

भोपाल, दिनांक ३०-६-१७

**PRINCIPAL / DIRECTOR**  
HARDA DEGREE COLLEGE RUN BY JANKI BAI MEMORIAL EDUCATION SOCIETY  
PLOT NO 11/319 STREET : INDORE ROAD, VILLAGE : HARDA  
POST OFFICE : HARDA, CITY HARDA, TEHSIL - HARDA, DISTRICT - HARDA

विषय:- सत्र 2017-18 में अस्थाई संबद्धता की निरन्तरता सत्र 2017-18.

सन्दर्भ:- (1) ग्रामीण अध्यापक शिक्षा परिषद का संशोधित पत्र क्रमांक: ५२१३५ दिनांक: ०३/०५/२०१६

(2) ग्रामीण अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर प्रदर्शित दिनांक: 05-05-2017 को जारी सूची क्रमांक: ५२१३५, ०५/०५/२०१६

गहोरय,


विद्या परिषद की उथाई रामिति की बैठक दिनांक ०८.०५.२०१७ में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ की धारा १५(४) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुसूदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित निम्नांकित पाठ्यक्रमों की संबद्धता की अस्थाई निरन्तरता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

१. दी०ए०० १२०८ सत्र संख्या

शर्तः-

- आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरन्तरता के लिए विद्यालयानुसार आवेदन करना होगा।
- विश्वविद्यालय के परिविष्ट क्र. २७ एवं २८ तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश क्रमांक ५, ६ एवं ७ का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- महाविद्यालय का आय-चाय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
- शासी नियम की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
- शिक्षकों को नियुक्ति विश्वविद्यालय के परिविष्ट क्र. २८ के तहत पूर्ण कर उनकी सूची ०१ जूलाई 2017 तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करवाई होगी।
- विवा संबद्धता के किसी भी घात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
- संबंधित विद्यालय संस्था व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा उस्थाई गई कठिनाई तथा विश्वविद्यालय द्वारा करवाए जाने वाले विदीक्षण में पाई गई कठिनाई की सूचना विद्यालय संस्था तथा उच्च शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके निर्देशानुसार आगामी चर्चावाही की जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा शायद पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अविवार्य होगा।
- जिन ग्रामीणविद्यालय जै कालेज कोड २८ के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की विद्युक्ति बढ़ी की है तथा विधानित समय दीमा में संबद्धता शुल्क जमा लाई किया है, उन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।
- किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी/अविवितता पाए जाने पर यह आदेश स्वतः विरस्त माना जाएगा।

आदेशानुसार,


  
उप-कुलसंचिव अकादमी

भोपाल, दिनांक ३०-६-१७

पृष्ठांक २७०५/अकादमी/संबद्धता/2017

प्रतिलिपि:-

- आयुवत, उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय सलपुड़ा भवन भोपाल।
- शैत्रीय संचालक, ग्रामीण अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
- उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
- उपकुलसंचिव/गोपकीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
- कुलपति/कुलसंचिव के विजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।
- वेबसाईट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल।

  
सहा-कुलसंचिव, अकादमी





५१

संबद्धता की विरत्तता

सत्र 2017-18

## बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

२७०६

क्रमांक /अकादमी/संबद्धता/2017

प्रति,

भोपाल, दिनांक ३०-६-१७

**PRINCIPAL / DIRECTOR**  
**ALPHA COLLEGE RUN BY BOPAL INTELLECTUAL PROGRESSIVE EDUCATIONAL SOCIETY, KHASRA NO- 408, 409, 410, 416 plot no. - 408, VILLAGE - BAIRAGARH KHUMAN, STREET - NH-12, POST OFFICE- SHYAMPUR, TEHSIL - SHYAMPUR, CITY SHYAMPUR, DISTRICT - SEHORE - 466657, M.P.**

विषय:- सत्र 2017-18 में अस्थाई संबद्धता की विरत्तता सत्र 2017-18.

सन्दर्भ:- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का संबोधित पत्र क्रमांक: १६६९३५ दिनांक: ०२/०५/२०१८

(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की देवसाईट पर प्रदर्शित दिनांक: ०५-०५-२०१७ को जारी खुली क्रमांक: ६७२.

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक ०८.०५.२०१७ में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ की धारा १५(४) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित निम्नांकित पाठ्यक्रमों की संबद्धता की अस्थाई विरत्तता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

१. बी०ए८० ५० छात्र संख्या

शर्तों:-

१. आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की विरत्तता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
२. विश्वविद्यालय के परिनियम क्रं.२७ एवं २८ तथा परीक्षा संबंधी अस्थादेश क्रमांक ५,६ एवं ७ का पालन सुविश्वत करना होगा।
३. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
४. शासी निकाय की बैठकों का विचारित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
५. शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के परिनियम क्रं. २८ के तहत पूर्ण कर उनकी सूची ०१ जूलाई २०१७ तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
६. बिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश गान्धी जहां किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व गहाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
७. संबंधित नियामक संस्था व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कमियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा कर्तवाए जाने वाले नियीकण में पाई गई कमियों की सूचना विभागक संस्था तथा उच्च शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके बिर्देशानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए गहाविद्यालय द्वारा शपथ पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
८. जिन महाविद्यालय जो कालेज कोड २८ के तहत प्रावार्य/शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है तथा विरासित समय सीजा में संबद्धता शुल्क जमा नहीं किया है, उन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।
९. किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कर्मी/अधिकारिता पाए जाने पर यह आदेश रखत: बिरस्त माजा जाएगा।

आदेशानुसार,

उप-कुलसचिव अकादमी

भोपाल, दिनांक ३०-६-१७

पृ०क्रमांक २७०७/अकादमी/संबद्धता/2017

प्रतिलिपि:-



१. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय सतपुड़ा भवन भोपाल।
२. क्लैब्रिय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल
३. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग ज.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
४. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
५. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के गान्धम से सूचनार्थ।
६. वेबसाईट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल।

सहा-कुलसचिव, अकादमी



1739

## संबद्धता की विस्तारता

सत्र 2017-18

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक २७०४/अकादमी/संबद्धता/2017

प्रति,

મોપાલ, દિનાંક ૩૦૮૧૭

**PRINCIPAL / DIRECTOR  
AZAD COLLEGE EDUCATION  
RUN BY AZAD SHIKSHA EVAM SAMAJ SEWA SAMITI  
PLOT/KHASRA NO. 26/49, 227/3&227/4/1, STREET GHAMAKAR, VILLAGE –  
CHOURAWAR, POST OFFICE – GANJBASODA, DISTRICT : VIDISHA – 464221**

विषय:- सत्र 2017-18 में अस्थाई संबद्धता की निरंतरता सत्र 2017-18.

सन्दर्भ:- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का संशोधित पत्र क्रमांक: 166241 दिनांक: 02/05/2016

(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर प्रदर्शित दिनांक: 05-05-2017 को जारी सूची क्रमांक: 674. 671

महोदय

विचा परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 08.05.2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिगियम 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुग्रहोपराज्ञ आपके गहविद्यालय में संचालित विन्वाकित पाठ्यक्रमों की संबद्धता की अस्थाई विरतस्ता विन्वाकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

1. बी०ए८० ५० अन्त संख्या

三

1. आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की विरंतरता के लिये गियमानुसार आवेदन करना होगा।
  2. विश्वविद्यालय के परिवेषक क्रं. 27 एवं 28 तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश क्रमांक 5,6 एवं 7 का पालन सुनिश्चित करना होगा।
  3. महाविद्यालय का आद्य-क्षय पत्रक वार्टर्ड एकाउटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
  4. शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
  5. शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के परिवेषक क्रं. 28 के तहत पूर्ण कर उबकी सूची 01 जुलाई 2017 तक विश्वविद्यालय ने प्रस्तुत करनी होगी।
  6. लिबा संबद्धता के किसी भी अन्त का प्रवेश गाल्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व गहाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
  7. संबंधित विद्यामक संस्था व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कमियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा करवाए जाने वाले बिरीक्षण में पाई गई कमियों की सूचना विद्यामक संस्था तथा उच्च शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उबके विरेशानुसार आगामी कार्रवाही की जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा शपथ पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
  8. जिन महाविद्यालय ने कालेज कोड 28 के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है तथा नियर्धित सभाय सीमा में संबद्धता शुल्क जगा नहीं किया है, उन महाविद्यालयों में संवालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।
  9. फिसी भी सत्र पर किसी भी प्रकार की कमी/अनियमितता पाए जाने पर यह आदेश स्वतः विस्तृत नाबा जाएगा।

आदेशानन्दार.



पृ ० क्रमांक २८७ | अकादमी संविद्धता / २०१७

### **परिलिपि:-**

 उप-कूलसंचिव अकादमी

भोपाल, दिनांक ३०-६-१७

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय सतपुड़ा भवन भोपाल ।
  2. कैन्ट्रीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल
  2. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग ग.प्र. शासन जंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
  3. उपकूलसचिव/गोपनीय/परिष्कृ। 2। बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल ।
  4. कुलपति/कूलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ ।
  5. वेबसाईट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

सहा.—कुलसचिव, आकादगी



245

संबद्धता की विरचनाता

सत्र 2017-18

## बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक २७१० / अकादमी/ संबद्धता/ 2017

भोपाल, दिनांक ३०-६-१८

प्रति,

PRINCIPAL / DIRECTOR

GURUKUL COLLEGE OF EDUCATION,  
PLOT/KHASRA NO - 71/KV/2 STREET NO. AMLA-SARWA ROAD, VILLAGE- GRAM  
SAMSASPURA, RATIBAD ROAD, POST OFFICE - SURAJ NAGAR, BHADBHADA  
ROAD, CITY- BHOPAL TEHSIL- HUZUR, DISTRICT - BHOPAL 462044, M.P.

विषय:- सत्र 2017-18 में अस्थाई संबद्धता की विरचना सत्र 2017-18.

सन्दर्भ:- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का संशोधित पत्र क्रमांक: 161222- दिनांक: 29/02/2016

(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर प्रदर्शित दिनांक: 05-05-2017 को जारी यूनी क्रमांक: 627.

गहोटय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 08.05.2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित विन्यासित पाठ्यक्रमों की संबद्धता की अस्थाई विरचना विन्यासित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

1. क्री०ए५० १८० छत्र संख्या

शर्तों:-

- आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की विरचना के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
- विश्वविद्यालय के परिनियम क्र. २७ एवं २८ तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश क्रमांक ५, ६ एवं ७ का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्ट एकाउंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
- शारीरिक निकाय की बैठकों का विवरण एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजवा होगा।
- शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के परिनियम क्र. २० के तहत पूर्ण कर उनकी सूची ०१ जुलाई 2017 तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
- दिनांक संबद्धता के किसी भी छत्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
- संबंधित विद्यालय एवं संस्था व उन शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कागियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा करवाए जाने वाले विरीक्षण में पाई गई कागियों की सूचना विद्यालय के संस्था तथा उन शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके नियंत्रणानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा शपथ पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- जिन महाविद्यालय वे कालेज कोड २८ के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है तथा विधिविरुद्ध समय सीमा में संबद्धता शुल्क जमा नहीं किया है, उन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।
- किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी/अविवक्तता पाए जाने पर वह आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।

आदेशानुसार,



उप-कुलसंचिव अकादमी

भोपाल, दिनांक ३०-६-१८

पृ० क्रमांक २७११ / अकादमी/ संबद्धता/ 2017

प्रतिलिपि:-

- आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय संसदीय संस्कृति भोपाल भोपाल।
- क्षेत्रीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानसा भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल
- उपसंचिव उच्च शिक्षा विभाग न.प्र. शासन गंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल
- उपकुलसंचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
- कुलपति/कुलसंचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थी।
- वेबसाईट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

सहा-कुलसंचिव, अकादमी



632

संबद्धता की विरतता

सत्र 2017-18

## बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक २७१२/अकादमी/संबद्धता/२०१७  
प्रति,

भोपाल, दिनांक ३०-६-१७

**PRINCIPAL / DIRECTOR**  
**SUSHILA TEACHERS TRAINING INSTITUTE RUN BY GRAMIN SHIKSHA EVAM**  
**VIKAS SAMITI.**  
**PLOT/KHASRA NO- 535/9, STREET - MAIN ROAD, VILLAGE- BAGER, POST**  
**OFFICE-BAGER, TEHSIL-ASHTA, CITY - SEHORE DISTRICT - SEHORE - 466116,**  
**M.P.**

विषय:- सत्र 2017-18 में अस्थाई संबद्धता की विरतता सत्र 2017-18.

सम्बर्थ:- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का संशोधित पत्र क्रमांक: १५६७८३ दिनांक: ०२/०५/२०१६

(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर प्रदर्शित दिनांक: 05-05-2017 को जारी सूची  
क्रमांक: ६२८६६५

मठोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 08.05.2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुगोदनोपराज्ञा आपके महाविद्यालय में संचालित नियमांकित पाठ्यक्रमों की संबद्धता की अस्थाई विरतता नियमांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

1. बी०एड० — ५० छात्र संख्या

शर्तों:-

1. आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की विरतता के लिये वियाचुसार आवेदन करना होगा।
2. विश्वविद्यालय के परिवियम क्रं.२७ एवं २८ तथा परीक्षा संबंधी अस्मादेश क्रमांक ५,६ एवं ७ का पालन सुनिश्चित करना होगा।
3. भावितव्य का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शासी निकाय की दैवतों का वियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के परिवियम क्रं. २८ के तहत पूर्ण कर उनकी सूची ०१ जुलाई २०१७ तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
6. विना संबद्धता के किसी भी अवकाश का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
7. संबंधित विद्यामक संस्था व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कमियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा करवाए जाने वाले विशेषण में पाई गई कमियों की सूचना विद्यामक संस्था तथा उच्च शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके विदेशाचुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा शपथ पत्र एक सपाह में प्रस्तुत करना अविवार्य होगा।
8. जिन महाविद्यालय ने कालेज कोह २८ के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति नहीं दी है तथा नियमित समय सीमा में संबद्धता शुल्क जगा नहीं किया है, उन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।
9. किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कगी/अनियमितता पाए जाने पर यह आदेश स्वतः लिस्त माना जाएगा।

आदेशाचुसार,



पृ०क्रमांक /अकादमी/संबद्धता/२०१७

प्रतिलिपि २७१३

1. अस्युक्त, उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल।
2. दोषीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नानस अवन, स्थामला हिल्स, भोपाल
3. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग ग्रा. शालन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
4. उपकुलसचिव/जोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय ओपाल।
5. वेबसाईट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

उपकुलसचिव अकादमी

भोपाल, दिनांक ३०-६-१७

सहा-उपकुलसचिव, अकादमी



42

संबद्धता की विरक्तरता  
सत्र 2017-18

## बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक २७४/अकादमी/संबद्धता/2017  
प्रति,

भोपाल, दिनांक ३०-६-१७

### PRINCIPAL/DIRECTOR

JAWAHARLAL NEHRU COLLEGE OF EDUCATION,  
PLOT NO. 973/1, VILLAGE/TOWN-MUGALIA HAT,  
POST OFFICE-FANDA, TEHSIL/TALUKA-HUZUR,  
TOWN/CITY-BHOPAL,DIST-BHOPAL, MADHYA PRADESH

विषय:- सत्र 2017-18 में अस्थाई संबद्धता की निरंतरता सत्र 2017-18.

सन्दर्भ:- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का संशोधित पत्र क्रमांक: 13598। दिनांक: 20-05-2015.

(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर प्रदर्शित दिनांक: 16-05-2017 को जारी सूची क्रमांक: 60.

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 08.05.2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुग्रहनोपरान्व आपके महाविद्यालय में संचालित निम्नांकित पाठ्यक्रमों की संबद्धता की अस्थाई निरंतरता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

1. एगोड़ो छात्र संख्या

शर्तों:-

- आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरंतरता के लिये विष्वमानुसार आवेदन करना होगा।
- विश्वविद्यालय के परिवियग क्र. २७ एवं २८ तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश क्रमांक ५.६ एवं ७ का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- महाविद्यालय का आय-क्याय पत्रक चार्ड एकाउंट दो सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
- शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
- शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के परिवियग क्र. २८ के तहत पूर्ण कर उनकी सूची ०१ जुलाई 2017 तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
- विना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व जहाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
- संबंधित नियामक संस्था व उक्त शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कमियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा करवाए जाने वाले नियीकण जै पाइ गई कमियों की सूचना नियामक संस्था तथा उच्च शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके विदेशानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा शपथ पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- जिन महाविद्यालय वे कालेज कोड २८ के तहत प्रावार्य/शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है तथा नियामित समय रीति जै संबद्धता कुलक जगा नहीं किया है, उन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।
- किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी/अनियंत्रिता पाए जाने पर यह आदेश दबतः विरस्त माना जाएगा।

आदेशानुसार,

उप-कुलसचिव अकादमी

भोपाल, दिनांक ३०-६-१७

पृष्ठ क्रमांक २७५/अकादमी/संबद्धता/2017

प्रतिलिपि:-

- अनुकूल, उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय सतपुड़ा भौपाल।
- सेनीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस अवन, श्यामला हिल्स, भोपाल
- उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग न.प्र. शारान मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल
- उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
- कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।
- वेबसाईट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

सहा-कुलसचिव, अकादमी